

दस साल शोध के बाद ई-कंटेंट की आमदनी में शिक्षकों को मिलेगा 60% हिस्सा

माई सिटी रिपोर्टर

शिक्षकों की तकनीकी क्षमता विकसित करने को विवि देगा प्रशिक्षण

ऑनलाइन कोर्स में भी मिलेगी मदद

लविवि में इस साल कई ऑनलाइन कोर्स को मंजूरी मिली है। इनमें कोई भी व्यक्ति दाखिला ले पायेगा। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई ई-कंटेंट के माध्यम से ही हो पाएगी। जिन विभागों में ये पाठ्यक्रम संचालित होने हैं वहां इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है।

लविवि में इस समय काफी ऐसे शिक्षक हैं जो ई-कंटेंट तैयार करने के लिए जरूरी तकनीकी क्षमता नहीं रखते हैं। इसको देखते हुए लविवि प्रशासन ने ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की बात कही है। ई-कंटेंट नीति में भी इसका उल्लेख किया गया है। इस तरह से सभी शिक्षकों को ई-कंटेंट तैयार करना जरूरी होगा। ई-कंटेंट में डिजिटल टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, आर्टिकल, वीडियो, ऑडियो, टेक्सुअल, पिक्चोरियल, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया शामिल हैं। लविवि की ई-कंटेंट नीति के अनुसार शिक्षक अपना नया कंटेंट तैयार करने के साथ ही विभिन्न स्रोत की सहायता से इसे असेम्बल भी कर सकते हैं। इसमें उसे पूरा ब्यौरा तथा संबंधित को क्रेडिट भी देना होगा। शिक्षक को कॉपीराइट तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट को भी ध्यान रखना होगा। शिक्षक अपने क्लास लेक्चर को भी ई-कंटेंट का रूप दे सकते हैं। इस तरह से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उनका ई-कंटेंट तैयार हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के सवाल जवाब भी होंगे।

लखनऊ। कोरोना संक्रमण के समय नियमित कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में ई-कंटेंट पढ़ाई का सबसे बड़ा सहारा है। ई-कंटेंट तैयार करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने ई-कंटेंट के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए इससे होने वाली आमदनी में हिस्सा देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत ई-कंटेंट की आमदनी में शिक्षकों को 60 फीसदी राशि दी जाएगी। लविवि ने अपनी ई-कंटेंट की पूरी नीति तैयार की है। इस नीति के हिसाब से ही शिक्षकों को अपना कंटेंट तैयार करके विवि को देना है।

लविवि ने पिछले सत्र में भी शिक्षकों को ई-कंटेंट तैयार करने का निर्देश दिया था। काफी शिक्षकों ने अपना ई-कंटेंट विवि की वेबसाइट पर अपलोड किया था। इनमें से कई शिक्षकों के ई-कंटेंट पर विद्यार्थियों ने सवाल उठाये थे। कई शिक्षकों पर तो इंटरनेट और कोविंग का मैटेरियल अपलोड करने तक का आरोप लगा था। विवाद के

बाद संबंधित मैटेरियल वेबसाइट से हटा दिया गया था। इसको देखते हुए लविवि कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने ई-कंटेंट पर विस्तृत नीति बनाने की घोषणा की थी। यह नीति बनकर तैयार हो गई है। इस नीति के अनुसार शिक्षकों को अपना ई-कंटेंट तैयार करना है। यह ई-कंटेंट मूक्स के लिए भी

उपयोग में लाया जा सकता है। मूक्स या फिर अन्य किसी माध्यम पर ई-कंटेंट का उपयोग होने पर उसकी रॉयल्टी भी मिलती है। इसको देखते हुए लविवि प्रशासन ने तय किया है कि रॉयल्टी का 60 फीसदी हिस्सा संबंधित शिक्षक और बाकी का 40 फीसदी हिस्सा विश्वविद्यालय के पास रहेगा।

NBT PAGE 4

'5 सितंबर को आएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट'

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : 9 अगस्त को हुई बीएड प्रवेश परीक्षा में नकल का एक भी मामला नहीं आया। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग का कहना है कि इस बार केंद्रों के चयन में किए गए बदलाव कारगर रहे। आमतौर पर 50-60% परीक्षा केंद्र निजी स्कूलों-कॉलेजों में बनाए जाते थे। इससे नकल की आशंका बनी रहती थी। इस बार सरकारी व एडेड स्कूलों-कॉलेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसका फायदा नकलविहीन परीक्षा के रूप में मिला। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

मोनिका एस गर्ग ने बताया कि बीएड

अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के चयन से बीएड बना नकलविहीन

प्रवेश परीक्षा के लिए 4.31 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। कोविड के संक्रमण काल में ऐसी परीक्षा करवाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ विवि व जिलों के प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित किया गया। अभ्यर्थियों की आवश्यकता व सहूलियत को देखते हुए उन्हें परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा दी गई। पिछले साल महज 15 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार 73 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया।



■ शिक्षक होने की बाध्यता नहीं

लविवि में पूर्व में चल रही व्यवस्था के अनुसार डी.लिट में ज्यादातर दाखिले यहीं के शिक्षक ही लेते थे। लविवि ने अपने प्रस्तावित ऑर्डिनंस में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं रखी है। मतलब कि कोई भी अर्ह व्यक्ति इसमें दाखिला ले सकेगा। भले ही वह यहां शिक्षक हो या फिर अन्य व्यक्ति। दाखिले के लिए बस उसे निर्धारित अर्हता पूरी करनी होगी।



■ एक खारिज होने के बाद दो

साल तक नहीं मिलेगा दाखिला लविवि के प्रस्तावित ऑर्डिनंस में यह व्यवस्था है कि एक बार डी.लिट थीसिस खारिज होने के बाद अगले दो साल तक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। ऑर्डिनंस के अनुसार थीसिस सबमिट करने से पहले सेमिनार का आयोजन भी करना होगा। थीसिस जमा करने के बाद अगर 12 सप्ताह तक इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो फिर नया परीक्षक नियुक्त कर दिया जाएगा।

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च (डी.लिट) करने के लिए अभ्यर्थियों के पास कम से कम दस साल शिक्षण या फिर शोध में अनुभव होना जरूरी होगा। इसके साथ ही बेहद प्रतिष्ठित जर्नल में कम से कम 15 शोधपत्र प्रकाशित होना भी अनिवार्य होगा। विवि प्रशासन ने दस साल से भी ज्यादा समय के बाद वर्तमान सत्र से डी.लिट के दाखिलों को हरी झंडी दे दी है। दाखिले के लिए नया ऑर्डिनंस तैयार कर लिया गया है। एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे कार्य परिषद के सामने अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

लविवि में पूर्व कुलपति प्रो. एस बरार ने वर्ष 2008 में नए पीएचडी ऑर्डिनंस बनाने के दौरान पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के दाखिलों पर मौखिक रोक लगाई थी। यह रोक अभी तक जारी थी। वर्तमान कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने अब डी.लिट के दाखिले का रास्ता साफ किया है। विवि के प्रस्तावित ऑर्डिनंस के अनुसार विभाग के साथ ही यहां के विभिन्न संस्थानों से भी डी.लिट की उपाधि प्राप्त की जा सकेगी। इनमें दाखिले के लिए अभ्यर्थी को अपना प्रस्तावित शीर्षक देना होगा तथा इस पर 1500 से 3000 शब्द में ब्यौरा देना होगा। साथ ही इस पर हुआ पिछला काम तथा प्रकाशन भी आवेदन के साथ देना होगा। दाखिले की कमेटी में संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के साथ ही दो वरिष्ठ प्रोफेसर भी होंगे, जिसमें एक डी.लिट का गाइड होगा।

विदेशों में है काफी महत्व

डी.लिट की उपाधि इस समय विवि या किसी अन्य संस्थान में नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता नहीं है। शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शोधार्थी डी.लिट करते हैं। हालांकि विदेशी विश्वविद्यालयों में डी.लिट का काफी महत्व है। विवि से डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने के बाद शोधार्थियों के पास विदेशी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और शोध संस्थानों से जुड़ने का अच्छा मौका होता है। इसलिए पीएचडी के बाद शोधार्थी पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करना चाहते हैं।